

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ.4(ई)/(1/2008)/अलेसे -III/ 704-706

दिनांक :- 31/3/2015

आदेश

श्री जितेन्द्र कुमार पुरोहित, कनिष्ठ लेखाकार को उनके आवेदन एवं कार्यालय ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के द्वारा की गई अभिशंषा के अनुसरण में निम्नांकित तालिका अनुसार कुल 87 दिवस का असाधारण अवकाश राजस्थान सेवा नियमों के नियम- 96(1) एवं वित्त (राजस्व) विभाग के मेमोरेण्डम एफ.1(2)एफ.डी.(रूल्स)/06 पार्ट-I दिनांक 22.05.2009 एवं 11.06.2014 के क्रम में स्वीकृत किया जाता है।

क्र. सं.	अवैतनिक अवकाश अवधि	
	दिनांक	कुल दिवस
1.	दिनांक 13.03.2013 से 22.03.2013	10
2.	दिनांक 01.04.2013 से 10.06.2013	71
3.	दिनांक 14.06.2013 से 19.06.2013	06
	कुल दिवस	87

(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांक एफ.4(ई)/(1/2008)/अलेसे -III/ 704-706

दिनांक :- 31/3/2015

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग को उनके पत्र क्रमांक 2844 दिनांक 09.10.2013 के क्रम में श्री जितेन्द्र कुमार पुरोहित, कनिष्ठ लेखाकार को स्वीकृत असाधारण अवकाश का सेवा पुस्तिका में आवश्यक इन्द्राज करने हेतु प्रेषित है।
2. श्री जितेन्द्र कुमार पुरोहित, कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. एसीपी (कम्प्यूटर अनुभाग) कार्यालय हाजा को वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु।

(जसवंत सिंह)